## न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण कमांकः 44 / 2015 संस्थित दिनांक – 30 / 08 / 2010 फाईलिंग नंबर – 230303004002010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— 🍎 🔨 आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

--अभियोजन

<u>वि रूद्ध</u>

- 1. निहाल उर्फ दाताराम पुत्र रामनिवास तोमर आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम कोंथर कला पोरसा जिला मुरैना......**उपस्थित आरोपी**
- 2. बंदू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर भदौरिया उम्र 34 साल निवासी ग्राम बिजपुरी
- रविन्द्र उर्फ नीरज पुत्र रामनिवास तोमर,
  उम्र 35 साल, निवासी करके का पुरा
  थाना पोरसा जिला मुरैना ......पूर्व निर्णीत आरोपीगण
- 4. लवकुश उर्फ अखलेश पुत्र रामसिया भदौरिया
- 5. सोमवीर पुत्र सरमन सिंह राजावत

.....फरार आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक। आरोपी निहाल द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता।

## —::— <u>निर्णय</u> —::— (आज दिनांक **04 जनवरी 2017** को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. उपस्थित अभियुक्त निहाल के विरूद्ध धारा 399, एवं 402 भा0द0वि0, सहपिटत धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 08/05/2010 को रात 20:10 बजे ग्राम जस्तपुरा के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की तैयारी की एवं डकैती के प्रयोजन से एकत्रित पांच व्यक्तियों में से एक स्वयं रहे ।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 08 / 05 / 2010 को ग्राम जस्तपुरा के पास अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक—एफ—91.07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की

अनुसूची के कॉलम क्रमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था एवं यह भी स्वीकृत है कि सहअभियुक्तगण लवकुश, सोमवीर आदेश दिनांक—14/10/2015 से फरार है तथा आरोपीगण बंटू उर्फ शेलेन्द्र और रविन्द्र उर्फ नीरज का दिनांक 07/10/16 को निर्णय हो चुका है।

- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है 3. कि दि0-08/05/2010 को थाना प्रभारी गोहद चौराहा एन.के. त्रिपाठी को जरिये मुखबिर टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जस्तपुरा नहर की पुलिया के पास 05 हथियार बंद बदमाश पुलिया की आंड में लूट की योजना बना रहे हैं । सूचना पर वह, एवं उपलब्ध पुलिसबल को साथ लेकर शासकीय हवान नंबर-एमपी. –03–5706 को लेकर मय आर्म्स एम्यूनेशन एवं टॉर्च अनुसंधान किट लेकर ग्राम जस्पुरा पहुंचा, जहां पर साक्षीगण रंजीत व रामप्रकाश मिले, जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए छिपते छिपाते पुलिया की आड में पीछे छिपकर कुछ लोगों की बातचीत की आवाज सुनी जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि लवकुश आज तो 2—3 मोटरसाइकिलें छुडानी हैं तथी दूसरा बोला हां सोमवीर तेरे पास कटटा तो है, एक बोला कि बंदू रोकेगा और निहाल और रविन्द्र मोटरसाइकिल चालू करके भागना है। तब बदमाशों की घेराबंदी करके पकडने का प्रयत्न किया तो दो बदमाश पास में खडी मोटरसाइकिल को लेकर भागने को हुए जिन्हें मय मोटरसाइकिल दबोच लिया, पकड लिया । शेष बदमाश पैदल भागे, जिन्हें पुलिसबल की मदद से पकड लिया। लेकिन एक बदमाश अंधेरे का फायदा उटाकर भाग गया।
- मौके पर पकडे गये आरोपियों से नाम पता पृछे जाने 4. पर उन्होंने अपने नाम लवकुश उर्फ अखलेश पुत्र रामसिया भदौरिया निवासी बिजपुरा, 2 सोमवरी पुत्र सरमन सिंह राजावत निवासी पुरा अतरसुमा, निहालसिंह उर्फ दामाता पुत्र पंचमसिंह तोमर निवासी कोथरकला, रविन्द्र उर्फ नीरज पुत्र रामनिवास तोमर निवासी करके का पुरा का बताया। लवकुश के कब्जे से एक 315 बोर का कटटा, दो जिंदा कारतूस तथा सोमवीर के कब्जे से एक कटटा 315 बोर दो जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल एवं निहाल के कब्जे से एक मोटरसाइकिल डिस्कवर काले रंग की, एवं तीन मोटरसाइकिल की मास्टर चाबी लोहे की, एक मोबाइल नोकिया कंपनी का तथा रविन्द्र उर्फ नीरज के कब्जे से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की टी.ब्ही.एस. मिली । पकडे गये बदमाशों से भागे गये बदमाशों का नाम पता पूछे जाने बंदू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र रामेश्वर सिंह भदौरिया निवासी बिजप्री थाना देहात जिला भिण्ड का बताया । बदमाशों से कटटा रखने का लाइसेंस व मोटरसाइकिलों के कागजात चाहे तो नहीं होना बताया। आरोपीगण का उक्त कृत्य धरा–399, 400, 402 भा0द0वि0 व 25, 27

आयुध अधिनियम व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत आने से साक्षीगण के समक्ष जब्ती व गिरफतारी कर थाना लाकर मूल अपराध कमांक—71/2010 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। एवं संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

- 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर उपस्थित अभियुक्त निहाल उर्फ दाताराम के विरूद्ध धारा 399, एवं 402 भा0द०वि० सहपिटत धारा—11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने रंजिशन झूंटा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।
- 6. $\bigwedge$ प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 08/05/2010 को रात्रि के समय 20:10 बजे ग्राम जस्तपुरा की पुलिया के पास में एकत्र होकर संयुक्त तौर पर डकैती का अभ्यस्त था ?
  - 2.— क्या आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती डालने के प्रयोजन से टोली बनाकर पांच व्यक्तियों का समूह तैयार कर उसमें एक स्वयं होते हुए डकैती की योजना बनाई?

## <u>—::-निष्कर्ष के आधार :-</u> विचारणीय प्रश्न कमांक—1 एवं 02 का विश्लेषण एवं निराकरण

- 7. उक्त दानों विचारणीय प्रश्नों का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
- 8. प्रकरण में विचाराधीन आरोपी निहाल उर्फ दाताराम का ही इस न्यायालय के द्वारा निराकरण किया जा रहा है इसलिये फरार घोषित अभियुक्तगण एवं पूर्व निर्णीत आरोपीगण के संबंध में अभिलेख पर आयी अभियोजन साक्ष्य को मूल्यांकन में नहीं लिया जा रहा है।
- 9. विचाराधीन आरोपी निहाल उर्फ दाताराम के संबंध में कथानक मुताबिक इस तरह की घटना बतायी गयी है कि आरोपीगण पांच की संख्या में दि0—08/05/2010 को रात करीब 08 बजे ग्राम जस्तपुरा के नहर की पुलिया के पास अवैध शस्त्रों से सुसज्जित होकर लूट डकैती की योजना बनाते पाये गये। जिनमें आरोपी बंटू उर्फ शैलेन्द्र अंधेरे का लाभ लेकर भाग गया । उक्त योजना की मुखबिर द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी को

सूचना प्राप्त हुई जिसे उसने रोजनामचा सान्हा में अंकित किया और उपलब्ध पुलिसबल को लेकर वह बदमाशों की तलाश में व मुखबिर की सूचना की तस्दीख हेतु बतलाये गये स्थान की ओर शासकीय पुलिस वाहन से रवाना हुआ, ग्राम जस्तपुरा में उसे 5—6 साक्षी रंजीतिसिंह व रामप्रकाश मिल गये जिन्हें भी सूचना से अवगत कराते हुए साथ में ले गये और उनके समक्ष पूरी कार्यवाही हुई। रामप्रकाश अ.सा.—01 और रणजीतिसिंह अ.सा.—02 के रूप में परीक्षण कराये गये किन्तु दोनों ही ने अभियोजन के कथानक का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया है और घटना के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है। विचाराधीन आरोपी निहाल उर्फ दाताराम को जानने पहचानने से इंकार किया है और उसे पुलिस द्वारा उनके सामने पकडे जाने, गिरफतार किए जाने, और कोई सामान बरामद किए जाने से इंकार कर पुलिस को कथन देने से भी उन्होंने इंकार किया है।

100 अ.सा.–1 व अ.सा.–2 आरोपी निहाल उर्फ दाताराम की गिरफतारी पत्रक प्र.पी.—10 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.—07 के पंच साक्षी हैं जिसके माध्यम से आरोपी निहाल उर्फ दाताराम से एक स्टार डिस्कवर मोटरसाइकिल और एक लोहे की रॉड तीन लोहे की मास्टर चाबियां एवं एक नोकिया एन–72 मोबाइल को जब्त करना बताया गया है जिससे उक्त दोनों साक्षियों ने इंकार किया है। रामप्रकाश अ. सा.—1 ने प्र.पी.—04 और रणजीतसिंह अ.सा.—2 ने प्र.पी.—01 के पुलिस को कथन देने से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उक्त दोनों साक्षियों ने लूट डकैती की योजना आरोपी निहाल उर्फ दाताराम के द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बनाये जाने और देखे सुने जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। अर्थात उनके अभिसाक्ष्य में आरोपी निहाल उर्फ दाताराम के विरूद्ध अभियोजन के पक्ष में कोई भी तथ्य नहीं आये हैं । निहाल उर्फ दाताराम के प्र.पी. —10 के गिरफतारी पत्रक और प्र.पी.—07 के जब्ती पत्रक पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर मात्र स्वीकार किए हैं जो वे पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर करा लिये जाना कहते हैं । ऐसी स्थिति में उक्त दोनों साक्षियों से मूल घटना का समर्थन अभियोजन को प्राप्त नहीं है। इसलिये अन्य परीक्षित साक्षियों जो कि पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता हो जाती है। हालांकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क उचित है कि अकेले पुलिस साक्षी की अभिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि की जा सकती है। किन्तु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इस सबंध में इस आशय के तर्क किए हैं कि जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी परीक्षित हुए हैं उनके कथनों में भी गंभीर विरोधाभास हैं और घटना झूंठी है। इसलिये आरोपी निहाल उर्फ दाताराम को भी दोषमुक्त किया जावे।

11. निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.–07 ने अपनी अभिसाक्ष्य

5

में मुख्य परीक्षण में तो यह बताया है कि दि0.—08/05/2010 को वह थाना गोहद चौराहा पर थाना प्रभारी था उसे मुखबिर की सूचना इस आशय की प्राप्त हुई थी कि ग्राम जस्तपुरा के पास नहर पुलिया के पास हथियारबंद बदमाश डकेती डालने की योजना बना रहे हैं जिसे उसने रोजनामचा सान्हा में अंकित किया था और उपलब्ध बल के साथ शासकीय बाहन से वह थाने से खाना हुआ था। उसके साथ ए.एस.आई बंसल, प्र.आर. शुक्ला, आरक्षक जगरामसिंह, रामनिवास, शशांक भदौरिया, राजादांगी एवं आरक्षक चालक भारतेन्द् साथ गये थे। साथ में जाने का समर्थन आरक्षक जगराम सिंह अ.सा. –03 ए.एस.आई. और तत्कालीन प्र.आर. बालकृष्ण अ.सा.–4, ए.एस. आई. बी.एल. ब्रसंल अ.सा.–05, प्रधान आरक्षक कल्याण शुक्ला अ.सा. आरक्षक शशांक सिंह अ.सा.–08 ने भी किया है। किन्त् प्रकरण में साक्ष्य में कोई रोजनामचा सान्हा रवानगी का पेश नहीं किया है, जबकि विवेचक अ.सा.–07 रोज0सान्हा लेखबद्ध करना और ए०एस०आई. बी.एल.बसंल के द्वारा उसे सत्यापित करना बताता है 📈 ए. एस. आई. बंसल भी रोज0सान्हा रवानगी वापिसी का सत्यापन करना तो कहता है किन्तू उन्हें साक्ष्य में ही पेश नहीं किया है। यदि मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह मान भी लिया जाये कि मुखबिर की कोई सूचना थाना प्रभारी को प्राप्त हुई और वह उसकी तस्दीख के लिए पुलिसबल को लेकर बताये गये स्थान पर गया था तो मौके की स्थिति के बारे में मूल्यांकन करना होगा कि जिस प्रकार की घटना बतायी गयी क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित हुई और उसमें आरोपी निहाल उर्फ दाताराम भी शामिल था ?

- 12. निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.—07 के मुताबिक जस्तपुरा पहुंचकर उन्होंने अपने पुलिस वाहन को खडा किया था और छिपाव करते हुए नहर पुलिया की तरफ रवाना हुए थे। उसका ऐसा भी कहना है कि दोनों साक्षी रणजीतिसंह व रामप्रकाश रास्ते में मिल गये थे और उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था जिससे उक्त दोनों साक्षियों ने इंकारी की है। मौके की जो स्थिति उसने बतायी है उसमें पुलिया के पीछे कुछ लोगों का आपस में बातचीत करना बताया है जो उसने सुना था, और जो बातचीत सुनी उसमें उक्त निरीक्षक द्वारा यह सुना गया कि 'दो तीन मोटरसाइकिलें चुरानी हैं, तथा बातचीत में वे एक दूसरे का नाम ले रहे थे, जिनमें लवकुश, सोमवीर, निहाल व रिवन्द्र के नाम उसने सुने थे।'' लवकुश और सोमवीर अभी फरार हैं, उनके विचारण में उनके संबंध में निराकरण होगा।
- 13. अ.सा.—07 विवेचक के उक्त अभिसाक्ष्य मुताबिक पुलिया के नीचे जो लोग बातचीत कर रहे थे वे चोरी के संबंध में बातचीत करना बताये हैं ना कि लूट डकैती के संबंध में तथा बदमाश आपस में एक दूसरे का नाम किस संदर्भ में ले रहे थे यह स्पष्ट नहीं किया है । सामान्य तौर पर कोई भी अपराधी अपराध करने के लिए अपनी

पहचान को उजागर नहीं करता है। ऐसे में आपस में एक दूसरे का नाम लेने की कहानी स्वभाविक प्रतीत नहीं होती है। बातचीत सुनने की परिस्थिति को देखा जाये तो विवेचक अ.सा.—07 के मुताबिक 25—30 मीटर दूरी से उसने सुनना बताया है, जबिक इस बिन्दु पर जो अन्य साक्षी हैं, उनमे आरक्षक शशांकसिंह अ0सा0—8 पैरा—5 मुताबिक 100—150 मीटर की दूरी पर बातचीत सुनना कहता है और जगराम सिंह अ.सा.—3 बीस कदम की दूरी से देखना पैरा—03 में बताता है। बालकृष्ण अ.सा.—4 उनसे भिन्न यह कहता है कि जब वे लोग जस्तपुरा के हार में पहुंचे तो कुछ लोगों की आहट मिली थी कि आज रोड पर मोटरसाइकिलें छुडाना है और बातचीत में आपस में लवकुश, सोमवीर, निहाल, बंटू के नाम ले रहे थे। नहर पुलिया और हार दोनों अलग अलग स्थान होते हैं और ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है कि नहर पुलिया से ही हार लगा था, वहां से उन्होंने सुना हो तथा प्रकरण में कोई नजरी नक्शा मौके का तैयार नहीं किया गया है।

- 14. कल्याण शुक्ला अ.सा.—06 दूरी के बारे में कुछ नहीं बताता है। बल्कि वह मुखबिर की सूचना जो कि अ.सा.—07 के मुताबिक थाने पर मिली, उसका खण्डन करते हुए वह मुखबिर की सूचना थाने पर मिलने से पैरा—3 में इंकार करते हुए ग्राम तेहरा के आगे चलने पर रास्ते में मिलना बताता है। इस तरह से मुखबिर की सूचना मिलने, बदमाशों की बातचीत सुनने, आपस में वार्तालाप करने से उनके नामों का पता चलने के संबंध में उपरोक्त पुलिससाक्षी आपस में ही विरोधाभासी साक्ष्य दे रहे हैं। ऐसे में उनके अभिसाक्ष्य के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।
- 15. एन.के. त्रिपाठी अ.सा.—07 के मुताबिक थाने से रवाना होते समय या मौके पर पुलिसबल की कोई टीमें गठित किए जाने की कोई बात नहीं बतायी गयी है। जबिक इस संबंध में बालकृष्ण अ0सा0—4 तीन पार्टियां बनाना कहता है, पहली पार्टी में वह स्वंय के अलावा हरनाथिसंह, राजादांगी को बताता है। जबिक हरनाथिसंह का नाम किसी अन्य साक्षी ने नहीं बताया है। हरनाथ सिंह कोई व्यक्ति है या पुलिस कर्मी है, यह भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी व तीसरी पार्टी के कौन लोग थे यह उसे पता नहीं है, यह भी संदेह उत्पन्न करता है।
- 16. बचाव पक्ष की ओर से घटना काल्पनिक होने का तर्क करते हुए थाने पर बैठकर पूरी कार्यवाही कर ली जाना बताया है। जिसे निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.—07 के पैरा —09 के अभिसाक्ष्य से बल मिलता है क्योंकि उसे यही जानकारी नहीं है कि जिस जगह पर वह तस्दीख के लिए गये थे, वह किस गांव के नजदीक पडता है, जाते समय रास्ते में कौन कौन से गांव मिले, घटनास्थल के आगे कौन सा गांव था। जबकि उक्त साक्षी मुख्य साक्षी है और उसे

7

भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, ऐसे में उसके अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

- विचाराधीन आरोपी निहाल उर्फ दाताराम के संबंध में 17. आरक्षक जगराम अ.सा.–03 ने यह बताया गया है, कि निहाल के कब्जे से एक मोटरसाइकिल एक नोकिया मोबाइल, एक मोबाइल का चार्जर और एक लोहें का सरिया जब्त किया गया था, जबकि प्र.पी. –07 के जब्तीपत्रक मुताबिक मोबाइल का चार्जर जब्त नहीं बताया गया है, बल्कि तीन लोहे की बनी मास्टर चाबीयां जब्त बताई गई है, जब्त वस्तुओं में से कोई भी वस्तु साक्ष्य में पेश नहीं है। उक्त साक्षी प्र.पी.—07 के ज़ब्तीपत्रक का पंचसाक्षी नहीं है, उसके द्वारा यह भी स्पश्ट नहीं किया गया है, कि कौन सी मोटरसाइकिल जब्त हुई थी, बालकृष्ण अ.सा.–04 ने इस बिन्द् पर सामूहिक स्वरूप की साक्ष्य दी है, कि दरोगा जी ने गवाहों के सामने जब्ती बनाई थी और आरोपीगण को लेकर थाने आए थे, वह यह भी कहता है, कि घटना के समय वह प्रधान आरक्षक, कल्याण शुक्ला, ए.एस.आई. बी.एल. बंसल लिखापढी के लिए उस समय कम दिखाई देने से नजर का चश्मा लगाते थे, वह अपने मौके पर अपनी उपस्थिति बताता है, किंत् यह भी कहता है, कि उसने किसी आरोपी को नहीं पकडा था।
- 18. बालकृष्ण अ.सा.—04 अपने अभिसाक्ष्य में रात करीब 08:00 बजे थाने से निकलना और करीब रात 09:15 बजे थाने वापिस आना बताता है, उसके मुताबिक दस कदम की दूरी से उसने बातचीत सुनी थी, और पैदल चुपचाप दबे पैर जाना कहा है, वह बनाई गई पार्टियों में अपनी पार्टी में हरनाथसिंह, राजादांगी और त्रिपाठी को बताता है, जबिक स्वयं विवेचक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.—07 अपनी पार्टी में उक्त बालकृष्ण अ.सा.—04 को शामिल रहना नहीं कहता है।
- 19. आरोपी निहाल उर्फ दाताराम के संबंध में अ.सा.—4 ने यह भी बताया है, कि वह घटना के पूर्व आरोपी को नहीं जानता था, कौन सा आरोपी किससे क्या नाम लेकर कह रहा था, यह भी उसे पता नहीं है, आरोपी निहाल को किस पुलिसकर्मी ने पकडा था, यह भी वह नहीं बता सकता है, जबिक वह मौके पर गई पुलिस टीम का स्वयं को हिस्सा होना कह रहा है, ऐसे में जबिक स्वतंत्र साक्षी बताए गए है, और उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया है, अ.सा.—03 और अ.सा.—04 विश्वसीनय साक्षी नहीं है।
- 20. विवेचक एन.के. त्रिपाठी अ.सा.—7 अपने अभिसाक्ष्य में अग्रिम विवेचना ए.एस.आई. बी.एल.बंसल को सुपुर्द करना कहता है। जबिक एफ.आई.आर. प्र.पी.—11 के कॉलम नंबर—13 में विवेचक का नाम अंकित ही नहीं है जिसे वह सहवन से रह जाना बता रहा है और ए.एस.आई. बी.एल.वंसल को विवेचना सौपना बताता है।

जबिक एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट 1981 की धारा-04 (क) के मुताबिक उपनिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी अनुसंधान नहीं कर सकता हैं निरीक्षक एन.के. त्रिपाठी ने थाना प्रभारी की हैसियत रखते हुए स्वयं अग्रिम विवेचना न करने का भी कोई कारण नहीं बताया है। यदि इस बिन्दू को क्षण भर के लिए अवलोकन से बाहर किया जाये तब ए.एस.आई. बी.एल.बंसल अ.सा.–05 ने अपनी अभिसाक्ष्य में विवेचना प्राप्त होने पर केवल साक्षी रंजीतसिंह, रामप्रकाश, कल्याण शुक्ला, बालकृष्ण के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना और रोजनामचा सान्हा रवानगी वापिसी का सत्यापन करना मात्र बताया है अर्थात उसने भी आरोपी निहाल उर्फ दाताराम से जब्त बतायी गयी मोटरसाइकिल/के स्वामी के संबंध में कोई जांच नहीं की, कि मोटरसाइकिल किसकी थी, या लूट की थी। यदि लूट की हो तो उसके पीडित व्यक्ति को साक्षी बनाया जा सकता था, ऐसे में घटना की विवेचना लचर श्रेणी की है। इसके अलावा बी.एल.बंसल का पुलिस बल में साथ में जाना बताया गया है, जिसके संबंध में वह मौन स्थिति है, केवल आंशिक विवेचना करना ही कहता हैं । इससे भी अभियोजन का मामला संदेहजनक हो जाता है।

- 21. आरोपी निहाल उर्फ दाताराम से प्र.पी.—07 मुताबिक जो मोटरसाइकिल व रॉड मोबाइल और तीन मास्टर चाबियां जब्त करना बतायी गयी है, उसकी पंच साक्षियों ने पुष्टि नहीं की है और जब्तीकर्ता का कथन हर बिन्दु पर विरोधाभास प्रकट कर रहा है इसलिये वह विरोधाभासी हो जाता है क्योंकि प्र.पी.—07 के मुताबिक जो वस्तुएं जब्त करना उक्त साक्षी ने पेरा—04 में बताया है, वह कब की, इसके बारे में साक्ष्य नहीं दी है, पैरा—10 में आरोपी निहाल उर्फ दाताराम को घटनास्थल पर पकड़ा जाना वह अवश्य कहता है, किंतु मोटरसाइकिल के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है, और यह कहा है, कि बाद में विवेचक ने मोटरसाइकिल के स्वामी के संबंध में जानकारी ली होगी, जबिक बाद में विवेचना करने वाले ए.एस.आई. बी.एल. बंसल अ.सा.—05 ने इस संबंध में कोई जानकारी लेना नहीं बताया है।
- 22. मौके पर लिखापढी के संबंध में अ.सा.—07 ने पैरा—11 में यह कहा है, कि उजाले के लिए उनके पास टार्च थी, टार्च एवं मोटरसाइकिल की लाइट के उजाले में लिखापढी की गई थी, आरोपी निहाल उर्फ दाताराम से मोटरसाइकिल वह 08:45 बजे जब्त करना कहता है, जबकि प्र.पी.—07 के मुताबिक जब्ती का समय रात 08:30 बजे का अंकित है, उक्त विवेचक द्वारा मूल प्रकरण देखकर अभिसाक्ष्य दिया गया है, उसके बावजूद समय का अंतर आना तात्विक विसंगति की श्रेणी में आएगा, ऐसे में विवेचक की अभिसाक्ष्य से प्र.पी.—7 का जब्तीपत्र प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अ.सा.—01 व अ.सा.—02 से उसे लेस मात्र भी समर्थन प्राप्त नहीं है।

- 9
- 23. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में हमराह पुलिसबल में जिन लोगों का साथ जाना बताया गया है, वह भी कथानक को अपने अपने हिसाब से प्रकट कर रहे हैं । मौके से रवानगी व वापिसी के संबंध में भी अ.सा.—3 लगायत अ.सा.—8 की अभिसाक्ष्य में विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं । पंच साक्षी रणजीतिसंह व रामप्रकाश पुलिस को वास्तव में कहां मिले, इसके बारे में भी विरोधाभास हैं, क्योंकि अ.सा.—3 ग्राम तेहरा के पहले मिलना बताता है। जबिक मुख्य साक्षी एन.के.त्रिपाठी अ.सा.—07 ग्राम जस्तपुरा में मिलना कहता है और दोनों साक्षी अ.सा.—1 व अ.सा.—2 किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं ।
- 24. िघटना निर्विवादित रूप से रात्रि के समय की बतायी गयी है और घटनास्थल के आसपास अंधेरा बताया गया है जैसा कि सभी साक्षी कहते हैं । अ.सा.-3 लगायत-8 आरोपियों को पहले से जानते पहचानते भी नहीं थे. तथा इस बात की भी स्वीकारोक्ति आयी है, कि जिस समय की घटना बतायी जा रही है, उस समय प्र.आर. बालकृष्ण, कल्याण शुक्ला, ए.एस.आई. बंसल तीनों ही सेवानिवृत्ति के करीब थे और उन्हें नजर का चश्मा लगता था बिना चश्मे के वे नहीं देख सकते थे, ऐसे में उनका आरोपियों को देखना, भागने वालों के बारे में जानकारी बाबत दिया गया अभिसाक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं है। आरोपी निहाल उर्फ दाताराम से डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक नोकिया एन.—72 मोबाइल, लोहे की रॉड और तीन लोहे की मास्टर चाबियां मौके पर बरामद करना बतायी गयी है जिसे एन.के. त्रिपाठी अ.सा.–07 पैरा–05 के अंत में मौके पर विधिवत सील्ड करना बताता है, जबकि मोटरसाइकिल ऐसा वाहन है जिसे सील्ड किए जाने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसका इंजने चेसिस नंबर होता है, सील्ड किस रूप में की गई यह भी नहीं बताया है। ऐसे में घेराबंदी करके आरोपियों को पकडे जाने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और निहाल उर्फ दाताराम का भी मौके पर पकडा जाना संदिग्ध है। ऐसे में उक्त आरोपी निहाल उर्फ दाताराम की किसी लूट डकैती की योजना में संलिप्तता ही संदिग्ध हो जाती है। इसलिये अ. सा.—3 लगायत अ.सा.—8 के अभिसाक्ष्य के आधार पर युक्ति युक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि आरोपी निहाल उर्फ दाताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक—08 / 05 / 2010 को ग्राम जस्तपुरा के पास नहर पुलिया के निकट अंतर्गत थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड डकैती प्रभावित क्षेत्र में लूट डकैती की तैयारी पांच की संख्या में एकत्र होकर कर रहे थे जिसमें आरोपी निहाल उर्फ दाताराम भी शामिल था, इसलिये केवल घटनास्थल रडकेती प्रभावित क्षेत्र होने मात्र के आधार पर धारा—399 एवं 402 भादवि० सहपठित धारा—11 / 13 एम.पी.डी.ब्ही.पी. के. एक्ट अधिनियम 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ पाने का वह पात्र हैं ।

- 25. अतः आरोपी निहाल उर्फ दाताराम को धारा—399 एवं 402 भादवि० सहपठित धारा—11/13 एम.पी.डी.ब्ही.पी.के. एक्ट अधिनियम 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।
- 26. आरोपी निहाल उर्फ दाताराम के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है।
- 27. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति आरोपीगण लवकुश, एवं सोमवीर के फरार होने से सुरक्षित रखी जावे ।
- 28. आरोपी निहाल उर्फ दाताराम का धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र बनाये जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 29. अभियुक्तगण के फरार होने से अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावे ।
- 30. निर्णय की प्रति डी०एम० भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांकः 04/01/2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकेती, गोहद जिला भिण्ड